



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 785]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 29, 2007/आषाढ़ 8, 1929

No. 785]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 29, 2007/ASADHA 8, 1929

मंत्रिमण्डल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2007

का.आ. 1050(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य आबंटन) दो सौ नब्बेवां संशोधन नियम, 2007 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 में,—

(1) प्रथम अनुसूची में,—

(क) "9. रक्षा मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, "(iv) भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग" उप-शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित उप-शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(iv) पूर्व सेनानी कल्याण विभाग।"

(ख) "13. वित्त मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, "(iv) विनिवेश विभाग" उप-शीर्षक के पश्चात्, निम्नलिखित उप-शीर्षक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(v) वित्तीय सेवाएं विभाग"।

(2) द्वितीय अनुसूची में,—

(क) "वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, "क. वाणिज्य विभाग" उप-शीर्षक में, भाग "iv. शत्रु के साथ व्यापार : शत्रु संपत्ति" और तत्संबंधी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(ख) "रक्षा मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, "घ. भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग" उप-शीर्षक और प्रविष्टि 1 और 2 के स्थान पर, निम्नलिखित उप-शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"घ. पूर्व सेनानी कल्याण विभाग";

1. सशस्त्र सेना सेवा-निवृत्त सैनिकों (पूर्व सेनानियों), जिसके अंतर्गत पेंशनभोगी भी हैं, से संबंधित मामले।
2. सशस्त्र सेना सेवा-निवृत्त सैनिक (पूर्व सेनानी) अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम।";

(ग) "वित्त मंत्रालय" शीर्षक के अधीन :-

- (i) "क. आर्थिक कार्य विभाग" उप-शीर्षक में, क्रमशः भाग "v और vi बीमा और बैंककारी और तत्संबंधी प्रविष्टियों" का लोप किया जाएगा;
- (ii) "घ. विनिवेश विभाग" उप-शीर्षक में, प्रविष्टि 1 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"1(क). केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों से केन्द्रीय सरकार की इक्विटी के विनिवेश से संबंधित सभी मामले।

(ख). पूर्ववर्ती केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में विक्रय के लिए स्थापना करके अथवा प्राइवेट स्थापन के माध्यम से केन्द्रीय सरकार की इक्विटी के विक्रय से संबंधित सभी मामले।

टिप्पणी :-अन्य सभी विनिवेश-पश्चात् मामले, जिनमें पूर्ववर्ती केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में स्ट्रेटिजिक पार्टनर द्वारा मांग विकल्प के प्रयोग से उठने वाले और उससे संबंधित सभी मामले शामिल हैं, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय अथवा विभाग द्वारा, जहां भी आवश्यक हो, विनिवेश विभाग के परामर्श से, देखे जाते रहेंगे।";

- (iii) "घ. विनिवेश विभाग" उप-शीर्षक और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित उप-शीर्षक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"ड. वित्तीय सेवाएं विभाग"

I. बीमा

1. साधारण बीमा से संबंधित नीति; बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) और साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) का प्रशासन; और संबंधित मामले, साधारण बीमा और पब्लिक सेक्टर में पुनर्बीमा कंपनियां।
2. जीवन बीमा से संबंधित नीति; जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) का प्रशासन; और संबंधित मामले, भारतीय जीवन बीमा निगम।
3. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) का प्रशासन और संबंधित मामले।
4. उपरोक्त 1 से 3 तक की किसी भी प्रविष्टि की बाबत केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों से संबद्ध मामलों के संबंध में केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व।

II. बैंककारी

5. भारतीय बैंकों, चाहे वे राष्ट्रीयकृत हों या नहीं, से संबंधित सभी मामले।
6. विदेशी बैंकों, जहां तक भारत में उनकी सक्रियता का संबंध है, से संबंधित सभी मामले।
7. भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित सभी मामले।
8. सहकारी बैंककारी से संबंधित सभी मामले।
9. अखिल भारतीय विकास वित्तीय संस्थाओं से संबंधित मामले, जिसके अंतर्गत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.), आई.एफ.सी.आई. लिमिटेड, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक (आई.आई.बी.आई.) से संबंधित मामले भी हैं।
10. भारतीय आयात-निर्यात बैंक से संबंधित मामले।
11. पोत परिवहन विकास निधि समिति (उत्सादन) अधिनियम, 1986 (1986 का 66) का प्रशासन।
12. सिंधिया स्टीमशिप नैविगेशन कंपनी संबंधी मामले।
13. अवसंरचना विकास वित्त निगम (आई.डी.एफ.सी.) और इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज (आई.एल.एफ.एस.) से संबंधित मामले।
14. चिटफंड और निक्षेप स्वीकार करने वाली अन्य गैर-बैंककारी कम्पनियां।

15. भारत में बैंककारी से संबंधित अन्य मामले।
16. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) संबंधी मामले।
17. प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) का प्रशासन।
18. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) का प्रशासन।
19. राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (1951 का 63) के कार्यान्वयन संबंधी मामले।
20. रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के कार्यान्वयन से संबंधित मामले, जिनके अंतर्गत औद्योगिक वित्त पुनर्संरचना बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) और औद्योगिक वित्तीय पुनर्संरचना अपील प्राधिकरण (ए.ए.आई.एफ.आर.) से संबंधित मामले भी हैं।
21. राष्ट्रीय आवास बैंक संबंधी सभी मामले।
22. संघ सूची की प्रविष्टि 38, 45 और 46 तथा समवर्ती सूची की प्रविष्टि 9 से संबंधित सभी अन्य कानूनों, विनियमों और अन्य विधियों का प्रशासन।
23. प्रतिभूतिकरण और पुरोबंध संबंधी मामले।
24. विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) अधिनियम, 1992 (1992 का 27) का प्रशासन।
25. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10), बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40), बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 (1891 का 18), बैंक सेवा आयोग अधिनियम, 1984 (1984 का 44)।
26. भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) तथा भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1955 का 38) का प्रशासन।
27. भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1953 (1953 का 54)।
28. राज्य कृषि उधार निगम अधिनियम, 1968 (1968 का 60) का प्रशासन।
29. लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 (1983 का 48) का प्रशासन।
30. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 (1961 का 47) का प्रशासन।
31. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) का प्रशासन।

III. पेंशन सुधार।";

(घ) "गृह मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, "क. आंतरिक सुरक्षा विभाग" उपशीर्षक, और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"IV. शत्रु के साथ व्यापार : शत्रु संपत्ति

57. भारत में शत्रु-सम्पत्ति के अभिरक्षक सहित शत्रु संपत्ति के प्रबंधन, परिरक्षण और नियंत्रण संबंधी मामले।";

(ङ) "पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय" शीर्षक, और तत्संबंधी प्रविष्टियों के अधीन, निम्नलिखित अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"17. बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड और बामर लॉरी एंड कम्पनी लिमिटेड का प्रशासन।"

आ. प. जै. अब्दुल कलाम

राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/22/4/2007-मंत्रि.]

के. एल. शर्मा, उप-सचिव (मंत्रिमंडल)

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2007

S.O. 1050(E).— In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Two Hundred and Ninetieth Amendment Rules, 2007.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, ---

(1) in the First Schedule,---

(a) under the heading "9. Ministry of Defence (Raksha Mantralaya)", for the sub-heading "(iv) Department of Ex-Servicemen Welfare (Bhootpoorva Sainik Kalyan Vibhag)", the following sub-heading shall be substituted, namely:

"(iv) Department of Ex-Servicemen Welfare (Poorva Senani Kalyan Vibhag)".

(b) under the heading "13. Ministry of Finance (Vitta Mantralaya)", after the sub-heading "(iv) Department of Disinvestment (Vinivesh Vibhag)", the following sub-heading shall be inserted, namely:

"(v) Department of Financial Services (Vittiy Sewayen Vibhag)"

(2) In the Second Schedule,

(a) under the heading "MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (VANIJYA AUR UDYOG MANTRALAYA)", in the sub-heading "A. DEPARTMENT OF COMMERCE (VANIJYA VIBHAG)", part "IV. TRADING WITH THE ENEMY: ENEMY PROPERTY" and the entry relating thereto shall be omitted.

(b) under the heading "MINISTRY OF DEFENCE (RAKSHA MANTRALAYA)", for the sub-heading "D. DEPARTMENT OF EX-SERVICEMEN WELFARE (BHOOTPOORVA SAINIK KALYAN VIBHAG)", and the entries 1 and 2, the following sub-heading and entries shall be substituted, namely:

"D. DEPARTMENT OF EX-SERVICEMEN WELFARE (POORVA SENANI KALYAN VIBHAG)";

1. Matters relating to Armed Forces Veterans (Ex-Servicemen) including pensioners.

2. Armed Forces Veterans (Ex-Servicemen) Contributory Health Scheme.;"

(c) under the heading "MINISTRY OF FINANCE (VITTA MANTRALAYA)":

(i) in the sub-heading "A. DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS (ARTHIK KARYA VIBHAG)", part "V and VI INSURANCE and BANKING respectively and the entries relating thereto" shall be omitted;

(ii) in the sub-heading "D. DEPARTMENT OF DISINVESTMENT (VINIVESH VIBHAG)", for entry 1, the following entry shall be substituted, namely:

"1 (a). All matters relating to disinvestment of Central Government equity from Central Public Sector Undertakings.

(b). All matters relating to sale of Central Government equity through offer for sale or private placement in the erstwhile Central Public Sector Undertakings.

Note.—All other post disinvestment matters, including those relating to and arising out of the exercise of Call option by the Strategic Partner in the erstwhile Central Public Sector Undertakings, shall continue to be handled by the administrative Ministry or Department concerned, where necessary, in consultation with the Department of Disinvestment.;"

(iii) after the sub-heading "D. DEPARTMENT OF DISINVESTMENT (VINIVESH VIBHAG)"

and the entries relating thereto, the following sub-heading and the entries shall be inserted, namely:—

“E. DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES (VITTIYA SEWAYEN VIBHAG)

I. INSURANCE

1. Policy relating to general insurance; administration of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) and the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972); and related matters, General Insurance and Reinsurance Companies in Public Sector.
2. Policy relating to life insurance; Administration of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956); and related matters, Life Insurance Corporation of India.
3. Administration of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) and related matters.
4. The responsibility of the Central Government relating to matters concerning centrally administered areas in respect of any of the entries from 1 to 3 above.

II. BANKING

5. All matters relating to Indian banks, whether nationalised or not.
6. All matters relating to foreign banks so far as their operations in India are concerned.
7. All matters relating to Reserve Bank of India.
8. All matters relating to Cooperative Banking.
9. Matters concerning All India Development Financial Institutions, including those relating to, Industrial Development Bank of India (IDBI), IFCI Limited, Small Scale Industrial Development Bank of India (SIDBI) and Industrial Investment Bank of India (IIBI).
10. Matters concerning Export-Import Bank of India.
11. Administration of the Shipping Development Fund Committee (Abolition) Act, 1986 (66 of 1986).
12. Matters relating to Scindhia Steamship Navigation Company.
13. Matters relating to Infrastructure Development Finance Corporation (IDFC) and Infrastructure Leasing and Financial Services (ILFS).
14. Chit Fund and other non-banking companies accepting deposits.
15. Other matters relating to Banking in India.
16. Matters relating to National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD).
17. Administration of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).
18. Administration of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993).
19. Matters relating to implementation of the State Financial Corporation Act, 1951 (63 of 1951).
20. Matters relating to implementation of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 including matters relating to Board for Industrial Financial Reconstruction (BIFR) and Appellate Authority for Industrial Financial Reconstruction (AAIFR).
21. All matters relating to National Housing Bank.
22. Administration of all other statutes, regulations and other laws connected with entries 38, 45 and 46 of the Union List and entry 9 of the Concurrent List.

23. Matters concerning Securitisation and Foreclosure.
24. Administration of the Special Court (Trial of Offences Relating to Transactions in Securities) Act, 1992 (27 of 1992).
25. Administration of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) and the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), the Bankers' Books Evidence Act, 1891 (18 of 1891) and the Banking Service Commission Act, 1984 (44 of 1984).
26. Administration of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955) and the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (38 of 1959).
27. The Reserve Bank of India (Amendment and Miscellaneous Provisions) Act, 1953 (54 of 1953).
28. Administration of the State Agricultural Credit Corporation Act, 1968 (60 of 1968).
29. Administration of the Public Financial Institutions (Obligation as to Fidelity and Secrecy) Act, 1983 (48 of 1983).
30. Administration of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 (47 of 1961).
31. Administration of the Negotiable Instruments Act, 1881 (26 of 1881).

III. PENSION REFORMS.;

- (d) under the heading "MINISTRY OF HOME AFFAIRS (GRIH MANTRALAYA)", after the sub-heading "A. DEPARTMENT OF INTERNAL SECURITY (ANTRIK SURAKSHA VIBHAG)", and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

"IV. TRADING WITH THE ENEMY: ENEMY PROPERTY

57. Matters relating to management, preservation and control of enemy property including Custodian of Enemy Property in India.;"

- (e) under the heading "MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (PETROLEUM AUR PRAKRITIK GAS MANTRALAYA)", and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

- "17. Administration of Balmer Lawrie Investments Limited and Balmer Lawrie and Company Limited."

A.P.J. Abdul Kalam

President

[F. No. 1/22/4/2007-Cab.]

K. L. SHARMA, Dy. Secy. (Cabinet)